राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1325 / 2024

भूरसिंह माचीवाल (कर्मचारी आई.डी.– आरजेकेए198926015051)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. सयुंक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, भरतपुर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 11.03.2024

आदेश की दिनांक : 28.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

3. इस अपील में निलम्बन आदेश दिनांक 09.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती दी गई है। उक्त आदेश में अंकित है कि अपीलार्थी के द्वारा निजी वाहन संख्या RJ14 ZC 6337 को आगे लगाने के प्रकरण में पुलिस थाना कोतवाली करौली में एफआईआर संख्या 496 / 2023 दर्ज की गई। उक्त प्रकरण में विभागीय जांच प्रस्तावित होने के कारण राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–13(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यसेवा से निलम्बित किया गया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि वाहन में आग अज्ञात कारणों से लगी है। फौजदारी प्रकरण में अपीलार्थी को जमानत का लाभ प्राप्त हो

चुका है। अपीलार्थी की राजकीय सेवा में कोई शिकायत नहीं है। फिर भी अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है, जो गलत है।

5. हमने अपीलार्थी के उपरोक्त तर्कों पर विचार किया गया।

6. उक्त प्रकरण में विभागीय जांच प्रस्तावित होने के कारण राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–13(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यसेवा से निलम्बित किया गया। राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 के अनुसार नियुक्ति अधिकारी को यह अधिकारी है कि वह सरकारी कर्मचारी को निम्न स्थिति में निलंबित कर सकता है :–

(क) जहां तक उसके विरूद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही करने का विचार है या ऐसी कोई कार्यवाही लंबित है, या

(ख) जहां उसके किसी फौजदारी अपराध के संबंध में, अन्वेषण या विचार हो रहा हो,

7. वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध फौजदारी अपराध के संबंध में अन्वेषण जारी है। जिस स्थिति को देखते हुए अपीलार्थी का निलम्बन आदेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 के उल्लंघन के विरूद्ध होना नहीं माना जा सकता है। निलम्बन आदेश में किसी प्रकार कानून का उल्लंघन होना नहीं पाया जाता है।

8. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम निलम्बन आदेश में कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)